राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 26(ए / 18)प्रशासन / आकाशि / 2020 / 39 दिनांक:– 15.5.2020

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय / राजकीय विधि महाविद्यालय,
राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजस्थान।

विषयः–वर्ष 2021 (02 जनवरी, 2021 से दिसम्बर 2021) में सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों (प्राचार्य सहित) भी सूची भेजने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि वर्ष 2021 (02 जनवरी, 2021 से दिसम्बर 2021) में आपके महाविद्यालय / कार्यालय में सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों (प्राचार्य सहित) की सूचना अलग–अलग (शैक्षणिक / अशैक्षणिक) निम्न प्रपत्र में भरकर इस कार्यालय को दिनांक 31–5–2020 तक ईमेल आईडी jdadmn.cce@gmail.com पर भिजवाते हुये तथा एक प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लेवें कि आपके महाविद्यालय में वर्ष 2021 में सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों / कर्मचारी (प्राचार्य सहित) का नाम सूची में अंकित करने से वंचित नहीं रह जावें, तथा नाम, जन्म दिनांक का सेवा पुस्तिका से मिलान कर लिया गया हैं, अन्यथा आपकी स्वयं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। उक्त अवधि में यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी स्थानान्तरित / पदस्थापित होकर आता है तो उसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को शीध्र अवगत करावें।

क्र.स.	सेवानिवृत होने वाले अधिकारी / कर्मचारी का नाम मय पिता का नाम	पद	जन्म तिथि	अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने की तिथि	सेवानिवृत होने की तिथि
1	2	3	4	5	6

आर.वी.आर.ई.एस. अधिकारियों / कर्मचारियों की सूचना देते समय उनके नाम के आगे आर.वी. आर.ई.एस. लिखा जाना सुनिश्चित करें, ताकि सेवानिवृति आदेश जारी करते समय इनके नाम के आगे उक्त शब्द लिखा जा सके।

अधिकारी / कर्मचारी के संबंध में कृपया यह प्रमाण पत्र भी भिजवायें :– "प्रमाणित किया जाता है कि श्री––––––––––पिता का नाम––––––––––पद––––––के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 नियम 17 में कोई विभागीय जाँच विचाराधीन नहीं है और न ही प्रस्तावित है। गबन एवं चोरी का मामला विचाराधीन नहीं है और न ही कोई राजकीय राशि बकाया है।"

ज्ञातव्य रहे कि सेवानिवृत हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को छः माह पूर्व प्रेषित करने होते है। अतः समय का विशेष ध्यान रखें।

भवदीय,

14/5/2020
(डा. के.एल. सिराधना)
संयुक्त निदेशक, प्रशासन,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 26(ए / 18)प्रशासन / आकाशि / 2020 / 39 दिनांक:– 15.5.2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी., आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर एवं अजमेर।
3. प्राचार्य, राजस्थान संगीत संस्थान / राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस, जयपुर।
4. वेबसाईट प्रभारी अधिकारी, आयुक्तलय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

14/5/2020
(डा. के.एल. सिराधना)
संयुक्त निदेशक, प्रशासन,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।